# दोस्त की हत्या कर बताया था आत्महत्या दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : गंज थाना क्षेत्र के होटल संदीप के कमरे में हुई हत्या के चर्चित मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने दोषी अजय निषाद को आजीवन कारावास और साक्ष्य मिटाने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 700 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला 23 सितंबर 2021 का है। गुरुनानक चौक स्थित होटल संदीप के कमरा नंबर-302 में कोतमा, अनूपपुर मध्य प्रदेश निवासी अजय निषाद ने अपने मित्र जितेंद्र विश्वकर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। उसने होटल की बेडशीट को फाड़कर पंखे से लटका दिया और शव को गोद में उठाकर होटल कर्मचारियों को झूठी कहानी सुनाई कि उसके दोस्त ने फांसी लगा ली। गंज थाना पुलिस ने शव को आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया। पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

- 23 सितंबर 2021 को गंज थाना क्षेत्र में होटल संदीप में हुई थी घटना

प्रतीकात्मक

**विवेचना में खुली साजिश की परतें** : विवेचना के दौरान पुलिस को घटनास्थल से फटी हुई बेडशीट, खून से सनी रूई, टूटी हुई टाइल्स, और प्लास्टिक कुर्सी जैसे अहम सबूत मिले। आरोपित अजय निषाद ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि जितेंद्र, उसकी मां से लंबी बातचीत करता था, जिससे रंजिश रखते हुए उसने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।